न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	07 / 2017
सरकार	बनाम	होशियार सिंह पुत्र किशनलाल, जाति– जाट,निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 23.02.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र प्रकाश उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल होशियार सिंह पुत्र किशनलाल, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 621 के कुल रकबा 4.82 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है0 भूमि पर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र प्रकाश ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ख.नं. 621 पर गैर सायला का कोई कब्जा नही है। अपनी कृषि भूमि पर काबिज काश्तकार है। ख.नं. 621 का सीमाज्ञान करने की मांग की है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 39 पर
वर्ष 2016-17 में रूपये 15/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़